

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

बीसीजीवीएल, चेन्नई में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-1 में प्रयोगशाला परिचर, समूह 'ग' के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना ।

डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में बीसीजीवीएल, चेन्नई में प्रयोगशाला परिचर के पद का प्रारूप भर्ती नियम संलग्न है ।

ऐसे हितधारक जो उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के लिए इच्छुक हैं, वे प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव, लिखित में स्वरूपा सरन, उप-निदेशक प्रशासन (ईपीआई), कमरा सं. 647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110018 को दे सकते हैं तथा सॉफ्ट कॉपी epidghs@gmail.com पर भेजी जा सकती है ।

(स्वरूपा सरन)
उप-निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक:

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, भर्ती नियम, 1977 और बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास, समूह 'घ', भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध पशु परिचर, प्रयोगशाला चपरासी और प्रयोगशाला परिचर के पदों से है, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में प्रयोगशाला परिचर, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई प्रयोगशाला परिचर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला परिचर	16* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (रु. 18000- 56900)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) सरकारी संस्थान या मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीक और पशु देखभाल में एक वर्ष प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। वांछनीय: मान्यताप्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक में डिप्लोमा। टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार

						<p>अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
--	-------------------------------	---	--	---	---

			प्रोन्नति या प्रतिनियु क्ति या स्थानांत रण किया जाएगा		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर रहने अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा: (क) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) निदेशक, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई : अध्यक्ष (ii) पशुचिकित्सक, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई : सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई : सदस्य (iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी : सदस्य	लागू नहीं होता

(फा. सं. ए-12018/07/2017-ईपीआई)

(वरिन्द्दर कौर भल्ला)
अवर सचिव, भारत सरकार